

:: विषय संक्षेपिका ::

- मध्यप्रदेश में देशी मदिरा की 2544 एवं विदेशी मदिरा की 1061 दुकानें हैं। प्रदेश के 52 जिलों में 30 प्रतिशत से अधिक बिक्री होने के कारण देशी मदिरा की 187 मदिरा दुकानें एवं विदेशी मदिरा की 82 दुकानें संवेदनशील मदिरा दुकानों के रूप में चिन्हांकित की गई है। इन दुकानों की सतत् मॉनीटरिंग एवं प्रभावी निरीक्षण किये जा रहे हैं।
- प्रदेश में 11 आसवनी, 07 ब्रेवरीज एवं विदेशी मदिरा के 14 बॉटलिंग प्लांट हैं। देशी मदिरा के 13 बॉटलिंग प्लांट हैं। इसके अतिरिक्त 14 विदेशी मदिरा भाण्डागार हैं, जिन पर सी.सी.टी.व्ही. कैमरे से निगरानी रखी जा रही है एवं सतत् पर्यवेक्षण/निरीक्षण किया जा रहा है। यहां पर सशस्त्र गार्ड भी डिप्लॉय किये गये हैं। विभागीय अधिकारियों के प्रभाराधीन एवं नियंत्रण में निगरानी की जा रही है।
- संभागीय उपायुक्त एवं उनके अधीनस्थ तथा विभागीय अधिकारियों द्वारा समय-समय पर पर्यवेक्षण/निरीक्षण किये जा रहे हैं। प्रदेश स्तर पर 230 विधानसभा क्षेत्रवार उडनदस्ते क्रियाशील हैं। तथा 52 जिलों में जिला स्तर के उडनदस्ता कार्य कर रहे हैं।
- अंतर्राज्यीय सीमा के 03 किलोमीटर दायरे के अंदर प्रदेश की 130 मदिरा दुकानें एवं अन्य राज्यों की 84 मदिरा दुकानें स्थापित हैं। जिन पर समुचित नियंत्रण रखने के लिये बॉर्डर मीटिंग्स में मदिरा के परिवहन, विक्रय एवं अवैध धारण पर अंकुश लगाने हेतु कार्य योजना अनुसार कार्यवाही की जा रही है।
- मतदान दिवस एवं मतगणना दिवस पर शुष्क दिवस प्रभावी करने हेतु संबंधित जिलों के कलेक्टर द्वारा आदेश जारी कर दिये गये हैं।
- अंतर्राज्यीय सीमा पर उपरोक्तानुसार शुष्क दिवस घोषित करने हेतु संबंधित सीमावर्ती राज्य/जिलों द्वारा कार्यवाही की गई है।
- प्रारूप बी-14 एवं डी-3 में राज्य की समेकित जानकारी प्रतिदिन चुनाव आयोग को भेजी जा रही है।
- गत विधानसभा निर्वाचन 2013 में आचार संहिता की अवधि में 1,26,149 लीटर मदिरा जब्त की गई थी। जिसका अनुमानित मूल्य 2,86,93,100/- था। प्रकरण 6,195 दर्ज किये गये हैं। जिनमें 7,617 आरोपी गिरफ्तार हुए थे। सभी प्रकरणों में अभियोजन की कार्यवाही की गई है। कन्चिक्शन रेट शतप्रतिशत है।
- विधानसभा निर्वाचन, 2018 में आचार संहिता की अवधि में अभी तक 1,12,321 लीटर मदिरा जब्त की गई है। जिसका अनुमानित मूल्य 2,71,79,960/- है। प्रकरण 13,714 पंजीबद्ध किये गये हैं जिसमें 9,058 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं।